प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रमेश कुमार सुथार गोद पुत्र भूरारामजी सुथार पीपली चौक भीनमाल		अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर
प्रकरण अपील		48 /2017
कम्प्यूटर आई.डी		2017/0101

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

27.11.2017	अपीलांट अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में राज्य लोक सूचना अधिकारी को सुना गया। अपीलांट द्वारा अपील में सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत पोस्टल आर्डर संख्या 35 एफ 848156 के संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 16.10.2017 के द्वारा चाही गई सूचना निशुल्क उपलब्ध कराने की मांग की है। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर) द्वारा व्यक्त किया गया कि अपीलांट का आवेदन पत्र 17.10.2017 को प्राप्त हुआ। अपीलांट द्वारा आवेदित सूचना कार्यालय स्तर से जरिए पत्रांक/1203 दिनांक 14.11.2017 को उपलब्ध करवा दी है।अब अपीलांट को कोई सूचना उपलब्ध करवाया जाना शेष नहीं है। अत: अपील को अस्वीकार की जावे। हमने लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध कराये गये पत्रांक/आरटीआई/2017/1203दिनांक 14.11.2017 का अवलोकन किया। जिसमें अपीलांट/प्रार्थी द्वारा आवेदित सूचना के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर) ने बिन्दुवार कार्यालय में उपलब्ध सूचना उपलब्ध करवाते हुये रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया है। अत: हमारी राय में अपीलार्थी को राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर) द्वारा उसके द्वारा चाही गई सूचना समूचित रूप से उपलब्ध करा दी गई है। अत: अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। (बी.~~एल.~~कोठारी) प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	2004-05 27/11/17